नोला पिता खाना जाति भील उम्र वयस्क निवासी खडीपुर हालमुकाम नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, भीलवाडा जिला भीलवाडा
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. श्री जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णयः— दिनांक 08.06.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खडीपुर प0ह0 सुखपुरा तह0 बिजौलियां की शरहद में स्थित आ0नं0 559 रकबा 7—01 बीघा व आ0नं0 589 रकबा 4—08 बीघा भूमि जो राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड है । वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो वर्षो से उपयोग उपभोग एंव काश्त करता आ रहा है तथा पेनल्टी राज्य सरकार में जमा कराता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर वादी ने काफी अंग मेहनत व लागत लगाकर आराजीयात को उन्नत आबाद किया ताकि काबिल काश्त हो जाये। वादी जाति से भील है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है एंव पढा लिखा नही होकर कृषि कार्य व मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन व भरण पोषण कृषि कार्य पर निर्भर है। वादी के पास ज्यादा कृषि भूमि नही होकर भूमिहिन की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही के समय मार्च 2016 में वादी द्वारा अपने पुराने कब्जे संबंधित दस्तावेज पेश करने व निवेदन करने के बावजूद भी नियमन की सिफारिश नही की गई जबकि वादी नियमन की पात्रता रखता है। इस कारण वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु घोषणात्मक वादपत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। वादी को बिनायदावा मार्च 2016 में नियमन की सिफारिश नही करने व दिनांक 01.06.2016 को जब प्रतिवादीगण को धारा 80 जा.दी. का नोटिस प्रेषित किया गया तब से उत्पन्न हो सतत रुप से जारी है। वादी ने अनुतोष चाहा कि इस आश्य की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे कि ग्राम खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियां की शरहद में स्थित आ0नं0 559 रकबा 7—01 बीघा व आ0नं0 589 रकबा 4—08 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित फरमाया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजीयात दर्ज रिकार्ड की जावे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण की और से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया।

जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया कि विवादीत भूमि ग्राम खडीपुर की आ0 नं0 559 रकबा 7–01 बीघा व आ0नं0 589 रकबा 4–08 बीघा भूमि में वादी द्वारा किसी भी वर्ष में काश्त नही की गयी है। भूमि पडत है। वादी द्वारा काश्त नही की गई है पी.14 में पडत दर्ज है। प्रार्थी अतिक्रमी है जिसको बेदखल करना व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही न्यायोचित है। वादी सद्भावी कृषक नही है भूमि पडत है। कोई काश्त अर्थात फसल (जिन्स) नही की है। नियमन योग्य नही है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतिक्रमी को बेदखल करना उचित एंव कानून संगत है। वादी ने ग्राम खडीपुर की आ0नं0 559 रकबा 7–01 बीघा व आ0नं0 589 रकबा 4–08 बीघा भूमि पर कभी भी फसल काश्त नही की गई है। नियमन की सिफारिश के लिये वादी सद्भावी कृषक नही है। भूमि खसरा नं0 589 ना काबिल काश्त खनिज सम्भावित है। बिलानाम भूमि है। अतः वादपत्र वादी खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी काबिज होकर भूमि को काबिल काश्त बनाई एंव पेनल्टी राज्य सरकार में जमा कराता आ रहा है वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। .....जिम्मेवादी
2. आया कि वादी सदभावी कृषक नही है वादग्रस्त भूमि नियमन योग्य नही है वादपत्र खारिज योग्य है। .....जिम्मे प्रतिवादी

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 नोला पिता खाना जाति भील पेशा काश्त निवासी खडीपुर हाल मुकाम नयानगर तह0 बिजौलियां को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये।

पी.डब्ल्यू 1 नोला पिता खाना जाति भील निवासी खडीपुर हाल मुकाम नयानगर ने बयान में लिखवाया कि वादग्रस्त जमीन ग्राम खडीपुर में लगभग 11 बीघा है जमीन सरकारी है पेनल्टी भर रहा हुॅ। में प्रतिवर्ष फसल काश्त कर रहा हुॅ। इस जमीन पर कुआ था जो ठस गया है। यह बिलानाम सरकारी जमीन मेरे खाते के पास की जमीन है। अलोट कमेटी नही बैठने से जमीन आवंटन नही हुई। मेने काफी खर्चा लगा जमीन को उन्नत आबाद की है। जमीन सरकारी है वर्षा होने पर ही काश्त होती है। जमीन के चारो तरफ दिवार कर रखी है। मेरी आजीविका का साधन खेती बाडी है। मैं भूमिहिन की श्रैणी में आता हुॅ। इस जमीन पर मै वर्षो से काश्त करता आ रहा हुॅ। नियमन की श्रैणी में आता हुॅ, इसिलिये मेने दावा पेश कराया है। मेने खसरा परिवर्तन की नकल सम्वत् 2052 पेश की है जो प्रदर्श 1 है व खसरा परिवर्तन की नकले पेश की है जो प्रदर्श 2 है। लगायत 12 है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 को धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिये गये है जिसकी प्रति पेश है जो प्रदर्श 13 है। डाकघर की रसीद पेश की है जो प्रदर्श 14 व 15 है। नोटिस प्राप्ति की रसीद पेश की है जो प्रदर्श 16 व 17 है जमीन मेरे खाते दर्ज की जाये। जिरह में लिखवाया कि दावा किया जो जमीन सरकारी बिलानाम है मुझे यह याद नही है कि कौनसे साल कौनसी फसल बोई मुझे हर वर्ष धारा 91 का नोटिस दिया जाता है मे पेनल्टी भर रहा हुॅ। जमीन मेरे खाते की नही है मेने अलोट का फार्म नही भरा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया (भीलवाड़ा)

क्योकि अलोट की बैठक नही बैठी। सरकारी जमीन पर कब्जा मेरे पिता के समय से चला आ रहा है।

वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी व पेरोकार की सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी की व पेरोकार की बहस पर मनन किया ।

ग्राम खडीपुर की आ0नं0 559 रकबा 7—01 बीघा खनिज सम्भावित व 589 रकबा 4—08 बीघा जो कि बिलानाम सरकार है वादी को यह वादग्रस्त भूमि आवंटन नही हुई है। वादी सीधे ही बिलानाम खनिज सम्भावित खाते की भूमि को नियमन कराना चाहता है। नियमन का कार्य इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 में इस प्रकार बिलानाम भूमि को सीधे ही घोषणात्मक अधिकारों के तहत प्राप्त नही कर सकता। वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है अतः वादपत्र वादी खारीज योग्य है।

प्रस्तुत वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को मुकाम, सुखपुरा लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

राजस्व लोक अदालत अभियान उपखण्ड बिजौलियाँ

08/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया (केम्प सुखपुरा)